पाठ 3

कार्यपालिका - कानून लागू करना

सरकार का वह अंग जो नियमों, कानूनों को लागू करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका, विधायिका द्वारा पारित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। चूँकि भारत संघ राज्य है इसलिए संविधान में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था है।

भारत का राष्ट्रपति

संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परन्तु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं।

राष्ट्रपति का चुनाव

राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल के द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं-

संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।

राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र की विध्ाान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।

राष्ट्रपति का कार्यकाल

राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।

इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी

सदन में रखा जा सकता है।

राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ

वह भारत का नागरिक हो।
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
वह किसी लाभ के पद पर न हो।
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य

भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्नवत हैं-

नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है।
प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बँटवारा करता है।
राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है।

कानून बनाने में भूमिका

संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है, पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को, राष्ट्रपति के सुझावों के बिना अथवा सुझावों सहित पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं।

यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार

के लिए वापस लौटा सकता है।

क्षमा दान की शक्ति

राष्ट्रपति मृत्युदण्ड, अन्य दण्ड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दण्ड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है।

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ

राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है -

युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में (राष्ट्रीय आपात)

राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर (राष्ट्रपति शासन)

वित्तीय संकट के समय (वित्तीय आपात)

चर्चा कीजिए- राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान क्यों होता है ?

भारत का उपराष्ट्रपति

भारत का उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ

वह भारत का नागरिक हो।

35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

वह किसी लाभ के पद पर न हो।

राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर

लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्

राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री ;च्तपउम डपदपेजमतद्ध चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है

तो पद धारण की तिथि से छः माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा।

यह कैसे पता चलता है कि किसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है? आमतौर पर राजनैतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। आप कई दलों के नाम जानते होंगे। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है। उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री बनाने की राष्ट्रपति से संस्तुति करता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो उसे छः महीने के अन्दर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् क्या काम करते हैं ?

संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् की है। इसके लिए मंत्रिपरिषद् के कई मंत्रालय और विभाग हैं, जैसे- रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। मंत्रालय और विभागों में कई हज़ार लोग काम करते हैं। ये अधिकारी व कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं।

इन सब कामों के लिए कई हज़ार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। हर एक विभाग साल भर में सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करता है। इस पूरे खर्च की ज़िम्मेदारी भी केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् और प्रधानमंत्री की होती है। खर्चे और आमदनी का एक अलग मंत्रालय है- वित्त मंत्रालय।

संसद का मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण

मंत्रिपरिषद् के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्रिपरिषद् और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है।

इसके अलावा सांसद (संसद सदस्य) लोकसभा या राज्य सभा में अन्य प्रकार से भी नियंत्रण रखते हैं-

वे मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी माँग सकते हैं। मंत्रिपरिषद् किसी सवाल का जवाब देने से या जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता, न ही गलत जवाब दे सकता है।

वे किसी विषय पर मंत्रिपरिषद् का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

वे बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव दे सकते हैं।

इस प्रकार मंत्रिपरिषद् के कार्यों पर संसद नियंत्रण रखती है।

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में

(0) हमारे प्रदेश की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् से मिलकर बनती है।

(0) राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है, जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(0) राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

(0) राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होती है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है।

(0) राज्यपाल विधान सभा के बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति करता है।

(0) मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् के सदस्य अधिक से अधिक विधान सभा के कार्यकाल अर्थात् 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं।

(0) अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर वे पाँच वर्ष के पहले भी हट सकते हैं।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है ?

(ख) मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है ?

(ग) राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मण्डल में कौन-कौन सम्मिलित होते है ?

(घ) राज्यसभा का सभापति कौन होता है ?

(ङ) राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है ?

(च) केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् का गठन कैसे होता है ?

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) राष्ट्रपति का चुनाव ..... वर्ष के लिए होता है।

(ख) भारत का प्रथम नागरिक ..... होता है।

(ग) राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ..... उसके स्थान पर कार्य करता है।

(घ) लोकसभा में विश्वासमत प्राप्त करने के लिए ..... आवश्यक है।

3. निम्नवत् कथनों में सही के सामने सही (झ) तथा गलत के सामने गलत (´) का निशान लगाइए-

(क) संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद् द्वारा लागू किए जाते हैं। ( )

(ख) राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है। ( )

(ग) राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। (
)

(ध) कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता।
( )

समूह गतिविधि-

पूरी कक्षा को लोकसभा मान लिया जाए। बच्चों के दो समूह बना दिए जाएं। एक सत्तारूढ़ दल और दूसरा विपक्ष की भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों से प्रश्नोत्तर का अभिनय कराया जाए।